–छियानबे–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्याः क0नि0–5–4427/11–2002–500(40)/2000
लखनऊः दिनाँकः 08 अगस्त, 2002
अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 27 और धारा 47–क के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियम की द्वारा 75 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल संयुक्त प्राप्त स्टाम्प नियमावली, 1942 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (छियालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (छियालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2002 कही जाएगी।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

नियम 212–क का बढ़ाया जाना

2. संयुक्त प्रान्त स्टाम्प नियमावली, 1942 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 212 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम 212–क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

212–क (क) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) के अधीन नियुक्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण की लिखत को प्राप्त करने के ठीक पश्चात् प्रत्येक मामले में, यथा स्थिति, भूमि, भवन या उद्यान के बाजार मूल्य का सत्यापन लिखत में यथा प्रदर्शित बाजार मूल्य उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अनुसार अवधारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम है, तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 52 के अद्दीन यथा उपेक्षित रजिस्ट्रीकरण की लिखत को स्वीकार करने के पूर्व, उक्त अधिनियम की द्वारा 29 के अधीन स्टाम्प शुल्क देने के लिये दायी व्यक्ति से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 नियम 4 के अधीन कलेक्टर द्वारा नियत न्यूनतम मूल्य के आधार पर यथासंगणित स्टाम्प की कमी को देने की अपेक्षा करेगा। लिखत को यथास्थिति, प्रस्तुतकर्ता या निष्पादक को स्टाम्प शुल्क की कमी से अवगत कराने के लिए कारण बताते हुए इस अपेक्षा के साथ वापस लौटा दिया जाएगा कि वह लिखत पर स्टाम्प शुल्क की कमी की धनराशि अदा करे और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अध्याय–चार के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण की लिखत को पुनः प्रस्तुत करे।

(ख) यदि रजिस्ट्रीकर्ता अद्दिकारी धारा 47–क के खण्ड (क) के अधीन कोई ऐसा आदेश पारित करे जिसमें स्टाम्प शुल्क की कमी की अदायगी की अपेक्षा की गई हो, तो इस प्रकार अपेक्षित धनराशि को छापित स्टाम्प पत्र के रूप में अदा किया जाएगा। प्रत्येक स्टाम्प पत्र पर दस्तावेज के समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को अन्तर्विष्ट करने के लिए अपेक्षित संख्या में स्टाम्प पत्रों को निम्नलिखित प्रारूप में एक पृष्ठांकन के साथ सम्बन्धित लिखत में संलग्न किया जाएगा जिससे कि अन्य कहीं उसके प्रयोग को रोका जा सके।

उप रजिस्ट्रार.....के आदेश, दिनांक.....के अनुपालन में रुपये.....के छापित स्टाम्प पत्र (संख्या).....के रूप में.....(दावेदारों) के पक्ष में प्रस्तुतकर्ता/निष्पादक.....पुत्र.....द्वारा निष्पादित.....(प्रकार) के दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाता है/जा रहा है।

दावेदारों में से एक
दावेदार का घोषणाकर्ता
के रूप में हस्ताक्षर''

(ग) रजिस्ट्रीकर्ता अद्दिकारी लिखत के अन्तिम पृष्ठ के पीछे निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण–पत्र पृष्ठांकित करेगा :–

"एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि रुपये.....(शब्दों में).....मूल्य के स्टाम्प शुल्क की अदायगी श्री.....(स्टाम्प शुल्क की कमी अदायगी करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और पता) द्वारा घोषणा सहित इस लिखत के साथ संलग्न रुपये.....मूल्य के (संलग्न स्टाम्प पत्र की संख्या का विवरण दें)..... .....छापित पत्र के माध्यम से कर दी गई है।

रजिस्ट्रीकर्ता अद्दिकारी के हस्ताक्षर,
रजिस्ट्रीकर्ता अद्दिकारी का नाम,
दिनांक और मुहर।

नियम 332 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नियम 332 को उसके उपनियम (1) के मूल्य में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा अर्थात :–

एक (2) कलक्टर स्टाम्प मामले में पारित आदेश की एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को भेजेगा। रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ऐसे आदेश को प्राप्त करने के पश्चात् सन्दर्भ के लिए उसे अपनी रिपोर्ट से मिलाएगा। यदि वह पाता है कि :–

(क) यह, अधिनियम की अनुसूची के अधीन लिखत के गलत वर्गीकरण का मामला है,

(ख) उसकी रिपोर्ट में कथित तथ्यों और विधियों पर विचार नहीं किया गया है,

और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि उचित स्टाम्प शुल्क की अदायगी नहीं की गई है तो वह दर–सूची की एक प्रति, विधिक नजीर की एक प्रति और कलेक्टर के निर्णय की एक प्रति के साथ लिखत की प्रति को अधिनियम की धारा 56 के अधीन इस राय के लिए कि अपील दाखिल की जाये या न दाखिल की जाये, जिले के जिला सरकारी वकील के पास भेजेगा। जिला सरकारी वकील की राय प्राप्त करने के पश्चात् वह उसे सम्बन्धित उप/सहायक स्टाम्प आयुक्त को अग्रसारित करेगा और यदि वह जिला सरकारी वकील की राय से सहमत है तो वह पत्रावली को अपनी अभ्युक्ति के साथ स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश को भेजेगा। तब स्टाम्प आयुक्त मामले का परीक्षण करेगा और मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राद्दिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में विनिश्चय करेगा।

(दो) अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त तथा राजस्व) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट अपील में मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने के पश्चात उसे उप रजिस्ट्रार के पास भेजेगा जो उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने की वांछनीयता और साध्यता के सम्बन्ध में अपनी राय को अभिलिखित करेगा। यदि उच्च न्यायालय में रिट याचिका का दाखिल किया जाना वांछनीय पाया जाता है तो उप रजिस्ट्रार को चाहिए कि वह मामले की पत्रावली को जिला सरकारी वकील को उसकी राय के लिए अग्रसारित करे और उसकी राय प्राप्त करने के पश्चात् वह या पत्रावली को यथास्थिति, उप या सहायक स्टाम्प आयुक्त को भेजेगा जो उसे अपनी सिफारिश के साथ स्टाम्प आयुक्त के पास भेजेगा।

(तीन) यदि अपील या रिट याचिका को क्रमशः मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या उच्च न्यायालय के समक्ष दाख्लि करने के योग्य नहीं समझा जाता है तो उप रजिस्ट्रार पत्रावली को सम्बन्द्दित अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त तथा राजस्व) को इस अभ्युक्ति के साथ वापस लौटा देगा कि उसने पत्रावली का निरीक्षण कर लिया है और उक्त मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(चार) खण्ड (चार) के अद्दीन किसी निर्देश की प्राप्ति पर, स्टाम्प आयुक्त यह विनिश्चय करेगा कि रिट याचिका दाखिल की जानी है अथवा दाखिल नहीं की जानी है। यदि विनिश्चय सकारात्मक है, तो वह रिट याचिका दाखिल करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को सन्दर्भित करेगा। यदि विनिश्चय नकारात्मक है, तो वह एक आख्यापक आदेश पारित करेगा और निर्देश को जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त तथा राजस्व) को वापस लौटा देगा।

(पांच) यदि स्टाम्प आयुक्त, उत्तर प्रदेश की यह राय है कि उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की जानी है, तो वह तदनुसार कार्यवाही करेगा।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(ललित श्रीवास्तव),

प्रमुख सचिव।

संख्याः क0नि0–5–4427/11–2002–500(40)/2000, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक 16 अगस्त, 2002 के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अशोक कुमार दुग्गल)
विशेष सचिव।

संख्याः क0नि0–5–4427/11–2002–500(40)/2000, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, समस्त उपनिबन्धक–गण को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. विधायी अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(अशोक कुमार दुग्गल)
विशेष सचिव।